

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 32 / आर-840 / 2020 / ब-1 / चार

भोपाल दिनांक 12 / 01 / 2021

प्रति,

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

विषय:- मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश क्रमांक -2 सन् 2021 दिनांक 11 / 01 / 2021
के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की सूचना।

-000-

प्रथम अनुपूरक वर्ष 2020-21 के लिए मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश क्रमांक-2, 2021 दिनांक 11 / 01 / 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अनुपूरक अनुमान की विस्तृत जानकारी वित्त विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

2 / अध्यादेश में सम्मिलित प्रावधानों के उपयोग के पूर्व वास्तविक मासिक आवश्यकता की समीक्षा तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का आंकलन आवश्यक है। इस हेतु कृपया संलग्न प्रपत्र के साथ प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से भेजे जायें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 12 / 01 / 2021

पृष्ठां क्र 33 / 840 / 2020 / ब-1 / चार

प्रतिलिपि-

1. संबंधित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर अग्रेषित।
2. समस्त उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश 2021 में सम्मिलित प्रावधानों के संबंध में आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र
I

बजट शीर्ष	मुख्य बजट में प्रावधान	पुनर्विनियोग जन से वृद्धि (+) / कमी (-)	कुल उपलब्ध प्रावधान (2+3)	अद्यतन व्यय (दिसंबर 2020 तक)	शेष उपलब्ध प्रावधान (4-5)	प्रथम अनुपूरक अनुमान (अध्योदश कमांक-2 सन् 2021)	इस वित्तीय वर्ष में कुल आवश्यकता			आवश्यकता का कारण
							जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

टीप : कमांक 8,9,10 का योग कमांक 6 एवं 7 के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

II कंडिका I में उल्लिखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन/समर्पण से किये जाने के संबंध में टीप दें।

III यदि कंडिका I में उल्लिखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित/अन्य एजेंसी द्वारा समर्थित हैं, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दें।